कार्यालय वनमंडलाधिकारी दक्षिण (सा.) वनमण्डल
बालाघाट (म.प्र.)

दूरभाष नं.-(07632-248414)
Email – dfotsbghat@mp.gov.in

क्रमांक / मा0चि0 / 2977 / बालाघाट, दिनांक 11/06/2020

''डिमाण्ड नोट''

प्रति,

जिला शिक्षा अधिकारी
एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA)
जिला– बालाघाट (म.प्र.)

विषयः– बालाघाट जिले में तहसील कटंगी, ग्राम– खैरलांजी, वन परिक्षेत्र कटंगी (सा.) के अन्तर्गत वनक्षेत्र वनकक्ष क्रमांक पी–768 मे 0.410 हेक्टेयर वनभूमि शासकीय हाईस्कूल के भवन निर्माण हेतु जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्।
(ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक / FP/MP/SCH/41392/2019)

संदर्भ :– (1) कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल का पत्र कमांक / एफ–5 / 919 / 2019 / 10–11 / 687 दिनांक 18.02.2020 (जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित प्रेषित है।)
(2) मुख्य वनसंरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म0प्र0) का पत्र पृ.क्रमांक / डी.एम. / 1578 बालाघाट दिनांक 30.11.2019 (जिसकी प्रतिलिपि आपको पृष्ठांकित प्रेषित है।) तथा पत्र आदेश क्रमांक / व्यय / 95 दिनांक 09.06.2020 एवं पत्र पृ.क्रमांक / व्यय / 1433 दिनांक 09.06.2020
(3) इस कार्यालय का पत्र पृ.क्रमांक / मा.चि. / 1357 दिनांक 25.02.2020, पत्र पृ.क्रमांक / मा.चि. / 1683 दिनांक 16.03.2020, पत्र पृ.क्रमांक / मा.चि. / 1853 दिनांक 23.04.2020 एवं पत्र पृ.क्रमांक / मा.चि. / 629 दिनांक 27.05.2020

–––00–––

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भाकित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करे, जो आपको भी पृष्ठांकित प्रेषित हैं। विषयांकित वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में वन सरंक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक / एफ–5 / 919 / 2019 / 10–11 / 687 दिनांक 18.02.2020 द्वारा प्रथम चरण की सैद्धांतिक सशर्त स्वीकृति अधिरोपित शर्तो (शर्त क्रमांक 1 से 15 तक) के अन्तर्गत जारी की गई हैं, तथा अधिरोपित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन यथाशीघ्र चाहा गया हैं। तथा उक्त जारी स्वीकृति पत्र में लेख किया है कि एन.पी.व्ही. (NPV) की राशि तथा 520 पौधों के रोपण योजना की राशि आवेदक विभाग / संस्थान अधिरोपित शर्त क्रमांक 6 अन्तर्गत शासन के ऑनलाईन CAMPA मद में e-portal (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से जमा करेगें। तत्पश्चात स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का पालन आवेदक विभाग / संस्थान द्वारा किया जाकर शर्तवार पालन प्रतिवेदन मय वांछित अभिलेखों सहित 05 प्रतियों में इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करें, ताकि नियमानुसार प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

अतः आपको तत्संबंध में लेख कर सूचित किया जाता है, कि उक्त वनभूमि व्यपर्वतन के प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी की गई प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अन्तर्गत निम्नानुसार वांछित राशियॉ निम्न प्रकिया अनुसार शीघ्र जमा कराने का कष्ट करें :–

(1) प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल द्वारा जारी प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त कमांक 3 (a) अनुसार प्रकरण में प्रत्यावर्तित की जाने वाली 0.410 हेक्टेयर वनभूमि **का शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) राशि रू0 3,29,230.00 (रूपये तीन लाख, उनतीस हजार, दो सौ तीस मात्र) का भुगतान भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के** e-portal (https://parivesh.nic.in) **के माध्यम से एड–हॉक कैम्पा (CAMPA) मद में** शर्त कमांक 6 अनुसार जमा कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल द्वारा अधिरोपित शर्त कमांक 4 (b) अनुसार विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) के प्रतिवेदन प्राप्त होने एवं उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप देने के पश्चात् यदि शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) के अतिरिक्त कोई राशि देय होती है, तो यह राशि आपसे (उपयोगकर्ता अभिकरण / आवेदक विभाग / संस्थान से) वसूली जायेगी, अतः आप उपयोगकर्ता अभिकरण / आवेदक विभाग / संस्थान इस आशय का एक वांछित वचन–पत्र (Undertaking) बनाकर 05 प्रतियों में इस वनमण्डल कार्यालय में तत्काल प्रस्तुत करें। तथा उपरोक्त अधिरोपित वनभूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (Net Present Value) की आंकलित राशि में लगाई गई दरों में भविष्य में परिवर्तन इत्यादि होने पर आंकलित राशि के अन्तर की राशि इत्यादि जमा करने के संबंध में भी एक ''वचन–पत्र'' बनाकर 05 प्रतियों में संलग्न प्रेषित करने का कष्ट करें।

–2–

(2) प्रकरण में अधिरोपित शर्त क्रमांक 2 के अनुसार प्रकरण के एवज में वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी (सा.) परिक्षेत्र द्वारा उनके पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 497 दिनांक 20.05.2020 एवं उपवनमण्डल अधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमण्डल द्वारा उनके पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 1076 दिनांक 21.05.2020 से प्रेषित परिक्षेत्र कटंगी (सा.) अन्तर्गत वनकक्ष क्रमांक 562 में रकबा 1.000 हेक्टेयर भूमि में 520 पौधों के रोपण हेतु 11 वर्षीय तैयार योजनानुसार जिसकी तकनीकी स्वीकृति मुख्य वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) द्वारा उनके पत्र आदेश क्रमांक/व्यय/95 दिनांक 09.06.2020 एवं पत्र पृ.क्रमांक/व्यय/1433 दिनांक 09.06.2020 से प्रदान की गई, अनुसार **आंकलित राशि रुपये 8,38,614.00 (रूपये आठ लाख, अड़तीस हजार, छः सौ चौदह मात्र) का भुगतान भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिर्वतन मंत्रालय के** e-portal (https://parivesh.nic.in) **के माध्यम से एड–हॉक कैम्पा (CAMPA) मद में** शर्त कमांक 6 अनुसार जमा कराने का कष्ट करें।

तथा आवेदक विभाग/संस्थान कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक/एफ–11/भू–प्रबन्ध/सम0/3091 दिनांक 27.09.2013 द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार उक्त प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल द्वारा वनभूमि व्यपवर्तन की अन्तिम चरण औपचारिक स्वीकृति जिस वित्तिय वर्ष में जारी की जावेगी, उस वर्ष के मजदूरी दर के आधार पर उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संशोधित की जावेगी, तथा संशोधित योजनानुसार अन्तर की राशि को जमा करने हेतु आवेदक विभाग/संस्थान (जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक (RMSA) जिला–बालाघाट) बाध्य होगा, तत्संबंधी इस आशय का एक "वचन–पत्र" आवेदक विभाग/संस्थान इस वनमण्डल कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करें।

इस संबंध में वन मुख्यालय भोपाल कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–11/समन्वय/3037 दिनांक 29.12.2015 (छायाप्रति संलग्न) अनुसार राशि की मांग की जानकारी निम्नानुसार निर्धारित प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 में उल्लेखित है :–

प्रपत्र–1

क्र.	मद का नाम	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	**कैम्पा मद में जमा की जाने योग्य राशि**	मु.व.स. की तकनीकी स्वीकृति की राशि (वनीकरण योजनाओं हेतु)	आवेदक संस्था से कुल प्राप्त किये जाने योग्य राशि
1	2	3	4	5	6
1	वैकल्पिक वृक्षारोपण	1.000	**8,38,614.00** (रू0 आठ लाख, अड़तीस हजार, छः सौ चौदह मात्र)	**8,38,614.00** (रू0 आठ लाख, अड़तीस हजार, छः सौ चौदह मात्र)	**8,38,614.00** (रू0 आठ लाख, अड़तीस हजार, छः सौ चौदह मात्र)
2	नेट प्रजेन्ट वैल्यू (N.P.V.)	0.410	**3,29,230.00** (रू0 तीन लाख, उनतीस हजार दौ सौ तीस मात्र)	––	**3,29,230.00** (रू0 तीन लाख, उनतीस हजार दौ सौ तीस मात्र)
	कुल योग :–		**11,67,844.00**	**8,38,614.00**	**11,67,844.00**

प्रपत्र–2

क्र.	वनो की ईको वैल्यू श्रेणी	क्षेत्रफल (हेक्टे.)	वनो का घनत्व	निर्धारित दर (एन.पी.व्ही. हेतु)	**आवेदक संस्था से कुल प्राप्त किये जाने योग्य राशि**
1	2	3	4	5	6
1	III (Tropical Dry Deciduous Forest) ऊष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन	0.410	मध्यम घनत्व वन	8.03 लाख प्रति हेक्टेयर	**3,29,230.00** (रू0 तीन लाख, उनतीस हजार दौ सौ तीस मात्र)

उपरोक्त बिन्दु क0 (1) एवं (2) तथा निर्धारित प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 में उल्लेखित एन0पी0व्ही0, एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण की शासन के कैम्पा मद में जमा कराई जाने वाली राशियों का भुगतान भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के e-portal (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से एड–हॉक कैम्पा (CAMPA) मद में तत्काल जमा कराने का कष्ट करें। तथा आपके विभाग/संस्थान द्वारा शासन के CAMPA मद में e-portal (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से जमा कराई गई उपरोक्त राशियों की सूचना एवं संबंधित अभिलेख आदि के ऑनलाईन भुगतान की प्राप्ति रसीद की सत्यापित प्रति एवं अभिलेख तथा वांछित वचन पत्र इस वनमण्डल कार्यालय को तत्काल शीघ्र आवश्यक रुप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अनुराग कुमार)
भा0व0से0
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल, बालाघाट

पृ.कमांक/मा0चि0/ /बालाघाट, दिनांक

प्रतिलिपि :–

1 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भाकित आपके पत्र कमांक/एफ–5/919/2019/10–11/687 दिनांक 18.02.2020 के अनुपालन में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

2 मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त (म.प्र.) की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भाकित कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल के पत्र कमांक/एफ–5/919/2019/10–11/687 दिनांक 18.02.2020 जिसकी प्रतिलिपि आपकी ओर पृष्ठांकित प्रेषित है के संबंध में एवं आपके पत्र आदेश क्रमांक/व्यय/95 दिनांक 09.06.2020 एवं पत्र पृ.क्रमांक/व्यय/1433 दिनांक 09.06.2020 के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3 उपवनमण्डलाधिकारी कटंगी (सा.) उपवनमण्डल की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भाकित संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./1356 दिनांक 25.02.2020 एवं आपके प्रेषित पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 1076 दिनांक 21.05.2020 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। जब तक उपरोक्त वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नही की जाती है, एवं इस कार्यालय द्वारा आपको निर्देश प्रदान नही किये जाते है, तब तक आवेदक विभाग/संस्थान को कार्य करने नही दिया जावे एवं क्षेत्र हस्तांतरण नही किया जावे, सुनिश्चित करें।

4 वन परिक्षेत्र अधिकारी कटंगी (सा.) परिक्षेत्र की ओर उपरोक्त विषयांकित संदर्भाकित संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./1356 दिनांक 25.02.2020 एवं आपके प्रेषित पत्र प्रतिवेदन क्रमांक 497 दिनांक 20.05.2020 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। जब तक उपरोक्त वनभूमि व्यपवर्तन के प्रकरण में कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कक्ष भू–प्रबन्ध) म0प्र0 भोपाल द्वारा औपचारिक स्वीकृति जारी नही की जाती है, एवं इस कार्यालय द्वारा आपको निर्देश प्रदान नही किये जाते है, तब तक आवेदक विभाग/संस्थान को कार्य करने नही दिया जावे एवं क्षेत्र हस्तांतरण नही किया जावे, सुनिश्चित करें।

5 शाखा प्रभारी व्यय/राजस्व शाखा दक्षिण (सा.) वनमण्डल बालाघाट की ओर उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भाकित संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Sd/-

(अनुराग कुमार)
भा0व0से0
वनमंडलाधिकारी
दक्षिण (सा0) वनमंडल, बालाघाट